अध्याय-V

शासन एवं प्रबंधन

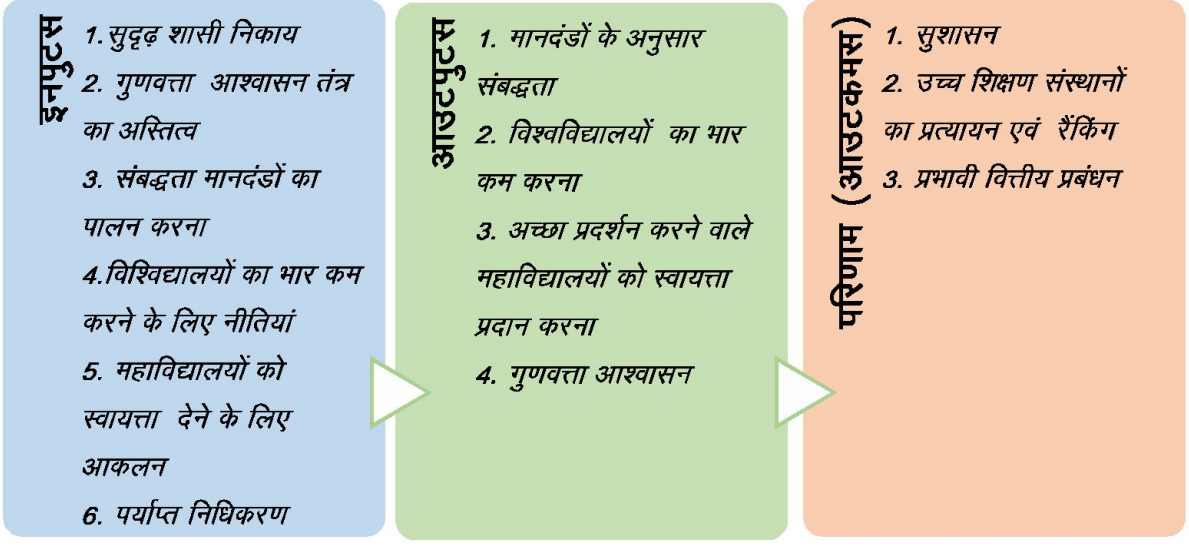
अध्याय- V
शासन एवं प्रबंधन

उच्च शिक्षा में विस्तार, समता एवं उत्कृष्टता के परिणामों (आउटकमस) को प्राप्त करने तथा संस्थानों की विशिष्ट क्षमता विकसित करने के लिए स्वायत्ता हेतु सक्षम बनाने के लिए, संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाते हुए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के शासन संबंधी सुधार महत्वपूर्ण थे। ये यह भी बताते हैं कि वित्त, संगठनात्मक सरंचना, संचालन और स्टाफ के क्षेत्रों में स्वायत्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मूल्यांकन ओर जवाबदेही की आतंरिक प्रणालियों के अनुरूप होनी चाहिए।

चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में शासन के विभिन्न तत्वों और तंत्रों के माध्यम से शासन तथा प्रबंधन की स्थिति और वे किस सीमा तक प्रभावी ढंग से लागू किए गए, का आकलन करने के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्य बनाया गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 4: क्या उच्च शिक्षा तंत्र का शासन एवं प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था

एक उच्च शिक्षण संस्थान का शासन एवं प्रबंधन इस प्रकार परिकल्पित है और संचालित किया है कि यह उच्च शिक्षा के परिणामों की प्राप्ति के प्रयासों के प्रभावी निरीक्षण को सुनिश्चित करें, इसमें विभिन्न कारक योगदान करते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रभावी शासन व प्रबंधन के उद्देश्यों तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योगदानकारी कारकों, विधियों तथा प्रणालियों को निम्न प्रतिरूप के माध्यम से समझा जा सकता है :



एक उच्च शिक्षण संस्थान के शासन एवं प्रबंधन सरंचना की प्रभावशीलता इसके प्रत्यायन, रैंकिंग कार्यपद्धति और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से मूल्यांकन के परिणामों में परिलक्षित होती है।

5.1 शासन

उच्च शिक्षण संस्थान में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी शासन सरंचना और प्रक्रिया आवश्यक है। नेतृत्व और शासन उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी पहलुओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। यद्यपि सुशासन और प्रबंधन स्वयं में उच्च शिक्षा में प्राप्त किए जाने वाले परिणाम नहीं हैं, लेकिन वे ऐसे परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी प्रयासों की प्रभावशीलता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। इस खंड में राज्य स्तर और चयनित संस्थागत स्तर पर शासन सरंचना के अस्तित्व और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई है।

5.1.1 राज्य स्तरीय शासन

राज्य स्तर पर शासन के लिए संस्थागत तंत्र में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् और राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना शामिल है।

5.1.1.1 राज्य उच्च शिक्षा परिषद

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज विहित करता है कि राज्य में उच्च शिक्षा के योजनाबद्ध और समन्वित विकास के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य उच्च शिक्षा परिषद् स्थापित करना वांछनीय होगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अनुसार भी राज्य में उच्च शिक्षा के योजनाबद्ध और समन्वित विकास, विश्वविद्यालयों के मध्य संसाधनों का साझाकरण, संस्थागत स्तर पर शासन सुधार आरम्भ करने आदि की आवश्यकता के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के गठन की आवश्यकता है।

यह देखा गया कि राजस्थान सरकार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन (8 जुलाई 2015) किया था। राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए, राज्य उच्च शिक्षा परिषद् ने जुलाई 2016 में राज्य उच्च शिक्षा आयोजना (2017-2022) तैयार की एवं मई 2018 में इसको अद्यतन किया। राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक आवश्यक थी, हालाँकि जुलाई 2015 से मार्च 2019 के दौरान इसकी केवल तीन[77] बैठकें आयोजित हुई।

5.1.1.2 राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के लिए जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (एसएलक्यूएसी) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों में आईक्यूएसी की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगा।

'राज्य गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों की गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियां' पर नैक नियमावली भी राज्य में महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम करने, नैक के परामर्श से राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार करने ओर संबंधित राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों एवं नैक के बीच

77 11 जुलाई 2016, 20 फरवरी 2017 एवं 15 मई 2018।

नोडल संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से राज्य में एसएलक्यूएसी के गठन का सुझाव देती है।

राज्य परियोजना निदेशक, रूसा ने फरवरी 2016 में एसएलक्यूएसी का गठन किया, जिसका मई 2018 में पुनर्गठन किया गया। इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- एसएलक्यूएसी का कार्य-क्षेत्र केवल राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रत्यायन की प्रक्रिया को सुगम बनाना था। तथापि, नैक नियमावली के अनुसार, प्रत्यायन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के अतिरिक्त, एसएलक्यूएसी को राज्य में महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में भी काम करना था। इस प्रकार, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित एसएलक्यूएसी के उद्देश्य नैक द्वारा परिकल्पित भूमिका की तुलना में सीमित थे।

- प्रत्यायन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, एसएलक्यूएसी ने नैक सहकर्मी दल (पीयर टीम) की वास्तविक यात्रा से पहले कृत्रिम अभ्यास के लिए 44 आंतरिक दल महाविद्यालयों में भेजे। 164 योग्य राजकीय महाविद्यालयों[78] (शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से पूर्व स्थापित) में से केवल 68 (41.46 प्रतिशत) महाविद्यालयों को जनवरी 2020 तक प्रत्यायन प्राप्त हुआ था ।

- आगे, एसएलक्यूएसी ने ना तो उन महाविद्यालयों की संख्या के बारे में आंकड़े संग्रहित किए जिन्होंने आईक्यूएसी का गठन किया था और ना ही महाविद्यालयों में आईक्यूएसी के गठन की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था विकसित की थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (अगस्त 2020) की एसएलक्यूएसी के गठन के समय केवल 14 राजकीय महाविद्यालयों को प्रत्यायन प्राप्त थी और वर्तमान में 70 राजकीय महाविद्यालयों (42.68 प्रतिशत) के पास वैध प्रत्यायन है। राज्य में नैक की प्रत्यायन प्राप्त करने की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी राजकीय महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन की आवश्यकता एवं लाभों से अवगत कराने के लिए संभागवार विडियो कांफ्रेंस आयोजित कर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। एसएलक्यूएसी के सुचारू कामकाज और प्रत्यायन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी सात संभागों में संभागीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ[79] की स्थापना (जून 2020) की गई हैं।

78 उच्च शिक्षण संस्थानों से कम से कम दो बैच के छात्र स्नातक हो गए हो या वे छः वर्ष से अस्तित्व में हो, जो भी पहले हो, नैक की प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिए पात्र है।

79 इनमे राजकीय महाविद्यालयों के आठ से नौ प्रधानाध्यापक जो कि आईक्यूएसी के समन्वयक के रूप में नामांकित हैं और प्रत्येक संबद्धक विश्वविद्यालयों के एक प्रतिनिधि शामिल है। इसकी मासिक बैठक होती है। इसके मुख्य कार्यों में संबंधित संभागों के सभी महाविद्यालयों के लिए नैक से संबंधित सूचना का डेटाबेस तैयार करना, नैक के संशोधित प्रत्यायन ढांचे के बारे में जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना आदि शामिल है।

तथापि, तथ्य यह है की एसएलक्यूएसी का कार्य-क्षेत्र सीमित था और यह उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सका।

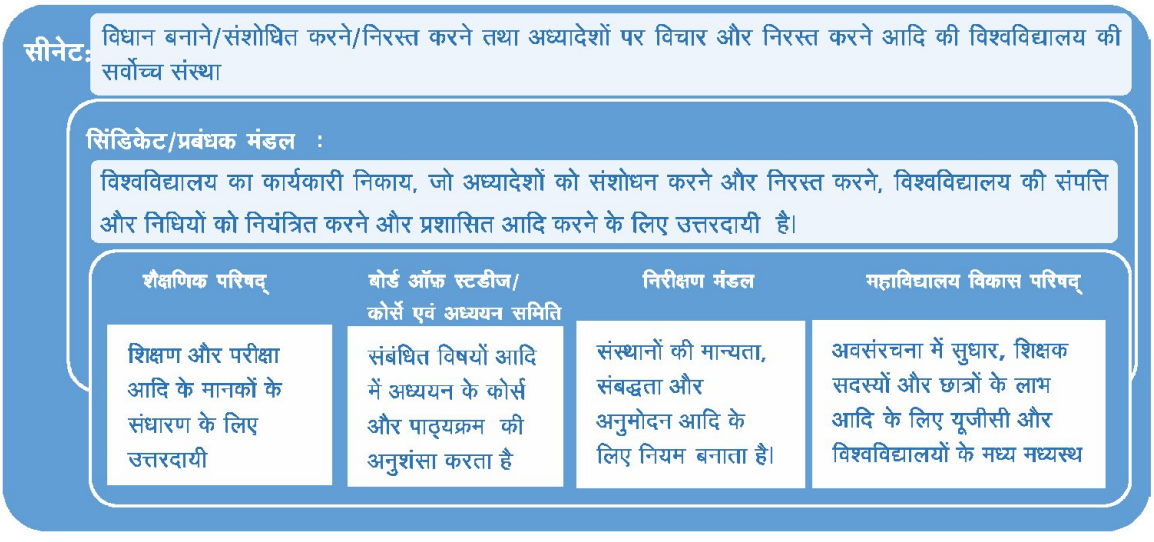
5.1.2 संस्थागत स्तरीय शासन

विश्वविद्यालय स्तर पर शासन एक व्यापक तंत्र जिसमें शासी निकाय (सीनेट, सिंडिकेट, इत्यादि), गुणवत्ता आश्वासन तंत्र, संबद्धता प्रक्रिया आदि सम्मिलित हैं, के माध्यम से किया जाता है।

5.1.2.1 शासी निकाय

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में शासी निकायों की संरचना ***चार्ट 5.1*** में नीचे दर्शाई गई है।

चार्ट 5.1: शासी निकायों की संरचना



प्रत्येक चयनित विश्वविद्यालयों के शासी निकायों की कार्यप्रणाली से संबंधित अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि (विवरण ***परिशिष्ट 5.1*** में दिया गया है):

(i) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

- सीनेट की वार्षिक बैठकें 2010 के बाद से ही से आयोजित नहीं हुई थी। सीनेट की 2011 से 2018 के दौरान केवल पांच विशेष बैठकें छात्रों को 'ग्रेस पारित करने हेतु' आयोजित हुई थी। राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा सीनेट को विश्वविद्यालय द्वारा पारित अध्यादेशों पर विचार करने और उसे निरस्त करने का अधिकार दिए जाने के उपरांत भी, नमूना जांच में यह पाया गया कि सिंडीकेट द्वारा अध्यादेशों में किए गए संशोधनों के 10 प्रकरण सीनेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार, सीनेट द्वारा बिना विचार किए ही अध्यादेश लागू किए गए थे। विश्वविद्यालय के लेखापरीक्षित लेखे सीनेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे। विश्वविद्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (दिसम्बर 2019) कि चूँकि सीनेट की वार्षिक बैठकें नियमित रूप से

आयोजित नहीं की गई थी, इसलिए अध्यादेश सीनेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे।

- सीनेट एवं सिंडिकेट में छात्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया था। शिक्षा निदेशक, निरीक्षण मंडल की किसी भी बैठक में सम्मिलित नहीं हुआ था।
- आगे, अनुदान के लिए महाविद्यालयों के प्रस्ताव यूजीसी को महाविद्यालय विकास परिषद् के माध्यम से नहीं भेजे जा रहे थे, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि महाविद्यालय विकास परिषद् अपने कार्यक्षेत्र के अनुरूप पूरी तरह कार्य नहीं कर रही थी। इसको इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है कि महाविद्यालयों को यूजीसी का अनुदान 2014-15 में राशि ₹ 2.64 करोड़ से भारी गिरावट के बाद 2018-19 में शून्य हो गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जनवरी 2021) कि भविष्य में सीनेट की वार्षिक बैठकें आयोजित करने के प्रयास किए जाएंगे।

(ii) जेएनवीयू, जोधपुर

- 2014-19 के दौरान सीनेट की बैठकों के आयोजन में 73.33 प्रतिशत एवं शैक्षणिक परिषद् की बैठकों में 78.33 प्रतिशत की कमी थी। सिंडिकेट में छात्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया था।
- महाविद्यालय विकास परिषद् के पूर्णकालिक निदेशक का पद अक्टूबर 2017 में निधियों की कमी के कारण समाप्त कर दिया गया था और निदेशक का कार्य एक सहायक रजिस्ट्रार द्वारा देखा जा रहा था। महाविद्यालय विकास परिषद् के लिए सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया था। जेएनवीयू, जोधपुर ने तथ्यों को स्वीकार (जून 2020) कर लिया।

(iii) जीजीटीयू, बांसवाडा

- विश्वविद्यालय में इस की 2012 में स्थापना के बाद से दिसम्बर 2019 तक सीनेट, निरीक्षण मंडल, तथा महाविद्यालय विकास परिषद् गठित नहीं किए गए थे। निरीक्षण मंडल का गठन नहीं होने के कारण, विश्वविद्यालय के कुलपति ने संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए समय-समय पर विभिन्न सदस्यों को नामित करके तदर्थ व्यवस्था की थी।
- विश्वविद्यालय में प्रबंधक मंडल सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। अवधि 2014-19 के दौरान प्रबंधक मंडल की बैठकों के आयोजन में 70 प्रतिशत की कमी रही। जैसा कि पूर्व में **अनुच्छेद 2.1.2.4** में चर्चा की जा चुकी है, जीजीटीयू, बांसवाडा ने प्रबंधक मंडल के अनुमोदन के बिना ही वर्ष 2018-19 से विज्ञान वर्ग में एक नया कोर्स {एमएससी (गणित)} शुरू किया और कला वर्ग के सभी तीन कोर्स बंद कर दिए।
- बोर्ड आफ़ स्टडीज वांछित रूप से कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि 2017-18 में इसके गठन के बाद से विश्वविद्यालय में किसी भी सिलेबस में कोई भी संशोधन नहीं हुआ। जीजीटीयू, बांसवाडा ने तथ्यों को स्वीकार किया।

(iv) छात्र सर्वेक्षण के नतीजे : छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण के प्रश्न कि "*क्या आप संस्थागत शासन से संतुष्ट है ?*" के उत्तर में लगभग 26 प्रतिशत छात्रों ने प्रणाली से असन्तुष्टि/आंशिक असन्तुष्टि व्यक्त की।

5.1.2.2 आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

गुणवत्ता के तत्वों (इनपुट) को आत्मसात करने के लिए यूजीसी समर्थित योजना[80] के भाग के रूप में सभी विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को पूर्णकालिक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) सुदृढ़ करना होगा। नैक नियमावली के अनुसार, प्रत्येक प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों का आईक्यूएसी निर्धारित प्रारूप में उच्च शिक्षण संस्थानों की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट नैक को प्रस्तुत करेगा।

चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

(i) नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालय :

- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में आईक्यूएसी ने विश्विद्यालय की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, संचालन की कार्यपद्धति एवं सीखने के परिणामों की समीक्षा नहीं की, गुणवत्ता संबंधी संस्थागत प्रक्रियाओं पर अभिभावकों एवं अन्य हितधारकों से फीडबैक प्राप्त नहीं किए और नैक प्रत्यायन के लिए आवश्यक सूचनाएं संकलित नहीं की। इसने वर्ष 2016 के बाद से वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन प्रतिवेदन नैक को प्रस्तुत नहीं किए। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि भविष्य में आईक्यूएसी को कार्यात्मक बनाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

- यद्यपि जेएनवीयू, जोधपुर में आईक्यूएसी का गठन किया गया था लेकिन इसकी कार्यप्रणाली सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि 2014-15 से इसकी बैठकें/गतिविधियों से संबंधित सूचना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।

- जीजीटीयू, बांसवाडा ने विश्वविद्यालय में आईक्यूएसी का गठन नहीं किया।

(ii) नमूना जांच किए गए राजकीय एवं निजी महाविद्यालय

यद्यपि नमूना जांच किए गए 36 में से 24 (66.67 प्रतिशत) राजकीय महाविद्यालयों में तथा 30 में से पांच (16.67 प्रतिशत) निजी महाविद्यालयों में आईक्यूएसी गठित की गई थी, आईक्यूएसी द्वारा आयोजित बैठकें एवं किए गए कार्य के विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

5.1.2.3 महाविद्यालय संबद्धता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियमन, 2009 किसी महाविद्यालय की संबद्धता को संबद्धक विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के साथ-

80 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी एवं गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट के अनुसार

साथ, उसकी मान्यता, संबद्धता और अभिस्वीकृति के रूप में परिभाषित करता है । संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के समय सभी संबंधित महाविद्यालयों, चाहे वे राज्य सरकार अथवा निजी निकाय द्वारा संचालित हो (संबद्धता चाहने वाले), को विनियम में निर्दिष्ट महाविद्यालय भवनों की पूर्व निर्धारित आवश्यकताओं[81] को पूरा करना होगा ।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि :

(i) विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रक्रिया का पालन न करना

- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में लेखापरीक्षा ने नमूना जांच की गई नौ निजी महाविद्यालयों की पत्रावलियों की संवीक्षा की तथा देखा कि चार महाविद्यालयों के निरीक्षण संबद्धता के लिए आवेदन की तिथि से निर्धारित तीन महीने के बाद दो से सात माह की देरी से किए गए थे । दो महाविद्यालयों को पूर्व के निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों के अस्तित्व में रहने के उपरांत भी संबद्धता प्रदान की गई थी । दो महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र से पहले एवं बाद में सशर्त संबद्धता प्रदान की गई थी, हालांकि नियमों में सशर्त संबद्धता का कोई प्रावधान नहीं था । सात महाविद्यालयों की निरीक्षण प्रतिवेदन न तो ठीक से भरी हुई थी और न ही संबंधित साक्ष्यों द्वारा समर्थित थी एवं तीन महाविद्यालयों की शैक्षणिक स्टाफ की सूचना त्रुटिपूर्ण थी ।

 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जनवरी 2021) कि कुछ महाविद्यालयों के निरीक्षण में प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक कारणों से देरी हुई तथा संबद्धता बताई गई कमियों में सुधार किए जाने की शर्त पर प्रदान की गई थी । भविष्य में विनियमन, 2009 के अनुसार संबद्धता प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी ।

- जेएनवीयू, जोधपुर में, निरीक्षण दलों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं की जा रही थी जिसके कारण सिंडिकेट को वास्तविक स्थिति उपलब्ध नहीं कराई जा सकी । भौतिक निरीक्षण के दौरान भी इसकी पुष्टि की गई थी, जिसमें अवसंरचना की वास्तविक उपलब्धता एवं निरीक्षण दलों द्वारा प्रतिवेदित सूचना में अंतर देखे गए थे। कुछ महाविद्यालयों को जिनके निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गई थी, विश्वविद्यालय ने शास्ति लगाकर संबद्धता प्रदान कर दी । हालांकि, शास्ति लगाने की सीमा एवं औचित्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे । जेएनवीयू, जोधपुर ने तथ्यों को स्वीकार किया ।

- जीजीटीयू, बांसवाडा में, विश्वविद्यालय ने नए राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करना 2017-18 से शुरू किया । विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए समिति का गठन नहीं किया, तथापि कुलपति ने संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए तदर्थ व्यवस्था की थी ।

81 व्याख्यान/सेमीनार कक्ष एवं पुस्तकालय प्रति छात्र कम से कम 15 वर्ग फीट और प्रयोगशालाएं प्रति छात्र 20 वर्ग फीट, 1000 पुस्तकों के साथ पुस्तकालय, पूरी तरह सुसज्जित प्रयोगशालाएं आदि ।

विश्वविद्यालय में संबद्धता प्रदान करने के लिए एक प्रबंधक निकाय एवं महाविद्यालय विकास परिषद् का गठन किया जाना था, परन्तु ये गठित नहीं किए गए। जीजीटीयू, बांसवाडा ने तथ्यों को स्वीकार किया।

(ii) संबद्धक विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धता आदेश जारी करने में देरी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियमन, 2009 के अनुच्छेद 3.4.10 के अनुसार, किसी भी महाविद्यालय में संबद्धता प्रदान करने की प्रत्याशा में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन की प्रति कार्यक्रम स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक ना तो किसी भी छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और ना ही कोई कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं जीजीटीयू, बांसवाडा में नवीन/अतिरिक्त/संबद्धता में विस्तार प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों एवं संबद्धता आदेश जारी करने में देरी से संबंधित सूचना ***तालिका 5.1*** में नीचे दी गई है :

तालिका 5.1 : महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने में देरी का विवरण

शैक्षणिक वर्ष (जुलाई से जून)	नवीन/अतिरिक्त संबद्धता प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की संख्या	संबद्धता में विस्तार प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की संख्या	संबद्धता प्रदान करने में देरी (महीनों में)	संबद्धता आदेश जारी करने की अवधि
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर				
2014-15	49	120	1 से 11	जुलाई 2014 से मई 2015
2015-16	87	324	2 से 30	अगस्त 2015 से दिसम्बर 2017
2016-17	61	402	1 से 17	जुलाई 2016 से नवम्बर 2017
2017-18	77	365	3 से 16	सितम्बर 2017 से अक्टूबर 2018
2018-19	95	277	6 से 18	दिसम्बर 2018 से दिसम्बर 2019
योग	369	1,488		
जीजीटीयू, बांसवाडा				
2017-18	12	-	4 से 5	अक्टूबर 2017 से नवम्बर 2017
2018-19	03	-	5 से 8	नवम्बर 2018 से मार्च 2019
कुल	15	-		

यह देखा जा सकता है कि :

- 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने नई संबद्धता एवं संबद्धता में विस्तार शैक्षणिक वर्ष (प्रतिवर्ष जुलाई) शुरु होने के पश्चात एक से 30 माह की देरी से प्रदान की थी। इसके अलावा, शैक्षणिक वर्ष 2015 -16 के लिए संबद्धता दिसम्बर 2017 के अंत तक प्रदान की गई। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार (जनवरी 2021) करते हुए बताया कि कुछ प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक कारणों से संबद्धता आदेश देरी से जारी किए गए थे। भविष्य में विनियम, 2009 के अनुसार इस संबंध में कार्य पूरा करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

- शैक्षणिक वर्ष 2017-19 के दौरान जीजीटीयू, बांसवाडा ने शैक्षणिक वर्ष शुरु होने के पश्चात चार से आठ माह की देरी से नई संबद्धता प्रदान की थी। इससे भी अधिक, शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए संबद्धता मार्च 2019 के अंत तक प्रदान की। जीजीटीयू, बांसवाडा ने तथ्यों को स्वीकार किया।
- आगे, जेएनवीयू, जोधपुर ने संबद्धता/पुनः संबद्धता प्रदान की गई महाविद्यालयों की वर्षवार समेकित स्थिति संधारित नहीं की। तथापि, 21 महाविद्यालयों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि, 2014-19 के दौरान चार से आठ राजकीय एवं पांच से सात निजी महाविद्यालयों को अस्थाई वार्षिक संबद्धता प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि 31 जुलाई से 4 से 273 दिवसों की देरी से प्रदान की गई। जेएनवीयू, जोधपुर ने तथ्यों को स्वीकार किया।

इम्पल्स महाविद्यालय, लालसोट (दौसा) में संबद्धता मानदंडों के उल्लंघन का प्रकरण

महाविद्यालय 2014-15 से संचालित हो रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से बीएससी कार्यक्रम में इसकी प्रवेश क्षमता को 60 सीटों से बढ़ाकर 120 सीट कर दिया। लेखापरीक्षा द्वारा महाविद्यालय के भौतिक निरीक्षण (जनवरी 2020) के दौरान यह देखा गया कि हालांकि 119 छात्र नामांकित थे, किन्तु महाविद्यालय भवन का उपयोग प्रातः कालीन सत्र में एक कोचिंग सेंटर के रूप में किया जा रहा था जबकि महाविद्यालय की कक्षाएं अपराह्न के सत्र में चल रही थी तथा भवन पर महाविद्यालय का नाम भी प्रदर्शित नहीं किया गया था। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए पृथक कमरे उपलब्ध नहीं थे और ये कक्षाओं से ही संचालित हो रही थी। जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला-सह-कमरों में कोई उपकरण नहीं लगाये गए थे। पुस्तकालय उपलब्ध नहीं था। महाविद्यालय में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध नहीं था और छात्र कक्षा के दौरान फर्श पर बैठे थे।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर महाविद्यालय को अस्थाई संबद्धता प्रदान की गई थी। महाविद्यालय से स्पष्टीकरण लेने की कार्रवाई की जा रही थी और भविष्य में निर्धारित मानकों को पूरा करने पर ही संबद्धता दी जाएगी।

यह इंगित करता है कि महाविद्यालय संबद्धता मानदंडों का पालन नहीं कर रहा था और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने भी 2017-18 के बाद से वार्षिक संबद्धता प्रदान करते समय विश्वविद्यालय में बुनियादी अवसंरचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की।

महाविद्यालय के छायाचित्र



महाविद्यालय भवन के सामने का दृश्य



महाविद्यालय भवन के साइड का दृश्य



बिना फर्नीचर के कक्षा का दृश्य



प्रयोगशाला-सह- कक्षा का दृश्य

5.2 उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्ता

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता के आधार पर राज्य विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों को बेहतर संसाधन सहायता के माध्यम से अधिक स्वायत्ता एवं परिचालन लचीलापन प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई। आगे, रूसा ने संस्थानों को अधिक स्वायत्ता की परिकल्पना निर्णय लेने एवं विशिष्ट आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं पर आधारित विशिष्ट हस्तक्षेपों की योजना बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता के संदर्भ में की है।

यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वायत्ता चाहने वाला महाविद्यालय मूल/संबद्धक विश्वविद्यालय को आवेदन करेगा जिसे वह आगे यूजीसी को भेजेगा। यदि दिशानिर्देशों के अनुसार महाविद्यालय पात्र पाया जाता है तो यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा गठित तीन विशेषज्ञ सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति जिसमें एक अध्यक्ष मूल/संबद्धक विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार के नामित सदस्य होंगे, की मदद से यूजीसी स्वायत्ता प्रदान करने/विस्तार के प्रस्ताव की स्थिति की जांच करेगा।

यह देखा गया कि यद्यपि स्वायत्त महाविद्यालयों की अवधारणा आठवीं पंचवर्षीय योजना द्वारा प्रारंभ की गई थी तथा जिसका लक्ष्य उस समय के कुल महाविद्यालयों के 10 प्रतिशत महाविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा देना था, तथापि, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने के पश्चात भी, राजस्थान में 1,761 महाविद्यालयों[82] में से केवल चार महाविद्यालयों (0.23 प्रतिशत) को ही मार्च 2019 तक स्वायत्ता का दर्जा दिया गया था।

5.3 विश्वविद्यालयों का भार कम करना

विश्वविद्यालयों के भार को कम[83] करने के लिए केंद्र एवं राज्य विश्वविद्यालयों के प्रभावी सरंचनात्मक[84] आधुनिकीकरण अधिनियमों को लागू करने की आवश्यकता है। भार कम करने में

82 237 में से एक राजकीय महाविद्यालय एवं 1,524 में से तीन निजी महाविद्यालय।

83 संबद्ध महाविद्यालयों के भार को कम करने के लिए मौजूदा के अतिरिक्त अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना।

84 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी एवं गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट के अनुसार।

अनिवार्य रूप से अधिक संबद्धक विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल है ताकि संबद्धक विश्वविद्यालयों से संबंधित कार्य-भार जैसे परीक्षा का संचालन, बार-बार संबद्धता आदि कार्य को युक्तिसंगत बनाया जा सके।

आगे, रूसा दिशानिर्देशों के अंतर्गत शासन एवं प्रशासनिक सुधारों के अनुसार एक विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या 100 तक ही सीमित होनी चाहिए ।

आयुक्तालय (कालेज शिक्षा) के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि मार्च 2020 तक राज्य में सामान्य शिक्षा में 10 राज्य विश्वविद्यालय चलाये जा रहे थे । इन विश्वविद्यालयों में से नौ में 100 से अधिक संबद्ध महाविद्यालय थे। आगे, इन नौ राज्य विश्वविद्यालयों में से पांच[85] में 200 से अधिक महाविद्यालय संबद्ध थे ।

5.4 उच्च शिक्षण संस्थानों की संबद्धता

उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या एवं उनकी प्रवेश क्षमता में तेजी से विस्तार, समकालीन गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं रही है । शिक्षण एवं शोध तथा संबंधित प्रणालियों के लिए निर्धारित किए गए गुणवत्तापूर्ण मानकों पर निरंतर तथा नीतिगत दृष्टिकोण के स्तर पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन व प्रत्यायन) विनियम, 2013 के अनुसार, तकनीकी संस्था के अतिरिक्त प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह दो बैच पूर्ण होने या छः वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद प्रत्यायन करने वाली एजेंसी द्वारा प्रत्यायन प्राप्त करेगा । कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान जो उपर्युक्त निर्धारित अवधि में मूल्यांकन और प्रत्यायन प्राप्त नहीं करेगा यूजीसी से किसी भी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

आगे, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार, नए निजी महाविद्यालयों के लिए स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से दो वर्ष के अन्दर नैक से प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य है ।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में देखा कि :

- यद्यपि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा ने 807 निजी महाविद्यालयों को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए परन्तु, उसने नैक द्वारा प्रत्यायन प्राप्त निजी महाविद्यालयों की संख्या से संबंधित कोई सूचना संकलित नहीं की ।

85 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर : 385 महाविद्यालय; जेएनवीयू, जोधपुर : 216 महाविद्यालय; महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर : 285 महाविद्यालय; महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर : 228 महाविद्यालय तथा शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर : 281 महाविद्यालय ।

- नैक की वेबसाइट से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य में जनवरी 2020 तक नैक से प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों की संस्था ***तालिका 5.2*** में नीचे दर्शाई गई है :

तालिका 5.2: राज्य में नैक से प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या

क्र. स.	संस्थान का प्रकार (केवल सामान्य शिक्षा के लिए)	कुल उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या		नैक से प्रत्यायन प्राप्त कुल उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या*(%)	नैक ग्रेड द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों का वितरण				
		2018-19 के दौरान	2013-14 के दौरान		ए+	ए	बी++/ बी+	बी	सी
1.	राज्य विश्वविद्यालय	10	10	3 (30%)	–	1	1	1	–
2.	निजी विश्वविद्यालय	51	40	7 (17.50%)	1	1	3	2	–
2	राजकीय महाविद्यालय	237	164	68 (41.46%)	–	4	6	45	13
3.	निजी महाविद्यालय	1,524	1,293	13 (1%)	1	2	3	6	1
कुल		1,822	1,507	91 (6.04%)	2	8	13	54	14

स्रोत : उच्च शिक्षा विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन एवं नैक वेबसाइट के अनुसार
*वर्ष 2013-14 के दौरान संस्थानों की संस्था से प्रतिशतता

तालिका दर्शाती है कि 2013-14 में चूंकि 1,507 उच्च शिक्षण संस्थान कार्यरत थे, अतः वे वर्ष 2019-20 (अस्तित्व में आने से छः वर्ष पूर्ण होने पर) के दौरान नैक प्रत्यायन हेतु पात्र थे। जिनमे से केवल, 91(6.04 प्रतिशत) उच्च शिक्षण संस्थानों को जनवरी 2020 तक नैक प्रत्यायन प्राप्त हुआ था। यद्यपि, राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (एसएलक्यूएसी) राज्य में महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए नैक के परामर्श से राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार करने एवं संबंधित राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों व नैक के बीच नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु जिम्मेदार था, परन्तु राज्य में केवल 6.04 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थान ही नैक से प्रत्यायन प्राप्त थे यह तथ्य एसएलक्यूएसी के अप्रभावी कार्यचालन को इंगित करता है। आगे, तथ्य यह है कि राज्य में केवल 0.66 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थाओं को ही ए+/ए ग्रेड प्रत्यायन प्राप्त था जो कि राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जा रही उच्च शिक्षा की निम्न गुणवत्ता को दर्शाता है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों में पाए गए कई लेखापरीक्षा निष्कर्षों में भी परिलक्षित हुआ जिनकी इस प्रतिवेदन के पूर्व अनुच्छेदों/अध्यायों में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि अधिकांश नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न आवश्यक सुविधाएं जैसे कि रोजगार सुविधा सेवा तंत्र या तो अक्रियाशील था या गैर-मौजूद था, आईसीटी सुविधाओं की उपलब्धता खराब थी, छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित सीमा से बहुत अधिक था, निजी महाविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अहर्ता वाले शिक्षकों की कमी थी, 77 प्रतिशत से अधिक स्नातक छात्र प्रथम श्रेणी/बी+ ग्रेड से कम अंकों से उतीर्ण हुए थे और शोध गतिविधियों के परिणाम संतोषजनक नहीं थे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि नैक प्रत्यायन प्राप्त निजी महाविद्यालयों के आंकड़ों का रखरखाव 2020-21 से प्रारंभ कर दिया गया है।

5.5 गैर-शैक्षणिक कर्मचारी

5.5.1 राज्य स्तरीय स्थिति

आयुक्तालय (कॉलेज शिक्षा) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 2014-19 के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के औसतन 52.36 प्रतिशत (3926 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 2056) पद रिक्त थे। आगे, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पद 2014-15 में 46.56 प्रतिशत से 2018-19 में 59.08 प्रतिशत तक लगातार बढ़े। राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि 266 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं।

5.5.2 नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालय स्तर पर

वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जेएनवीयू, जोधपुर एवं जीजीटीयू बांसवाडा में क्रमशः 44.79 प्रतिशत, 28.34 प्रतिशत एवं 87.50 प्रतिशत गैर-शैक्षणिक पद[86] रिक्त थे। जीजीटीयू, बांसवाडा में छह सेवानिवृत कर्मचारी संविदा पर नियुक्त किए गए थे।

गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के बहुत अधिक पद रिक्त होने के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों के मुख्य शैक्षणिक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक स्टाफ को गैर-शैक्षणिक कार्य (प्रशासनिक कार्य,संस्थापन कार्य आदि जैसे मंत्रालयिक कार्य) करने के दृष्टांत देखे गए थे। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अनुमति प्रदान किए जाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जा रहा था।

5.6 वित्तीय प्रबंधन

राजस्थान सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन के लिए तथा राजकीय महाविद्यालयों को उनके आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए राज्य के बजट से अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करती है। राज्य के बजट के अतिरिक्त, राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को अवसंरचना, शोध उद्देश्य आदि के लिए रूसा के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एवं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत यूजीसी से सहायता प्राप्त होती है।

5.6.1 राज्य बजट के अंतर्गत निधियां

राज्य बजट से 2014-19 के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों की वर्षवार स्थिति ***तालिका 5.3*** में नीचे दी गई है :

86 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर : 1,777 गैर-शैक्षणिक पदों में से 796 पद रिक्त, जेएनवीयू, जोधपुर : 801 गैर-शैक्षणिक पदों में से 227 पद रिक्त एवं जीजीटीयू, बांसवाडा : 40 गैर-शैक्षणिक पदों में से 35 पद रिक्त

तालिका 5.3 : राज्य बजट से प्राप्त निधियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	जारी निधियां			आवंटन से कम जारी निधियां (प्रतिशत)
		राज्य विश्वविद्यालय	राजकीय महाविद्यालय	कुल	
1	2	3	4	5(3+4)	6 (2-5)
2014-15	1,038.62	210.44	763.29	973.73	64.89 (6.25)
2015-16	1,283.86	203.97	975.14	1,179.11	104.75 (8.16)
2016-17	1,288.79	205.03	959.90	1,164.93	123.86 (9.61)
2017-18	1,324.77	251.90	925.63	1,177.53	147.24 (11.11)
2018-19	1,491.72	297.31	1,125.46	1,422.77	68.95 (4.62)

स्रोत : राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए बजट दस्तावेज/सूचनाएं

यह देखा जा सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को बजट आवंटन की पूर्ण राशि जारी नहीं की गई थी। सम्पूर्ण आवंटित निधियां जारी नहीं करने एवं वर्षवार निधियों के उपयोग करने के संबंध में, पूछने पर भी सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

5.6.2 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियां

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना 2013 में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार करना एवं उनकी विद्यमान क्षमताओं को बढाना है ताकि वे गतिशील, मांग-संचालित, गुणवत्ता के प्रति जागरूक, कुशल तथा प्रगतिशील और स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले तीव्र आर्थिक तथा तकनीकी विकास के लिए उतरदायी बन सके। इस योजना में केवल राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान ही शामिल है, जिनमें विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा, कृषि एवं पशु चिकित्सा आदि के संस्थान शामिल नहीं है। राजस्थान के प्रकरण में इस योजना का केंद्र-राज्य से वित्त पोषण 60:40 के अनुपात में है।

5.6.2.1 अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध निधियां जारी करना

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने राजस्थान के लिए रूसा के अंतर्गत अवधि 2014-20 के लिए ₹ 606 करोड़ (रूसा-1 के अंतर्गत अवधि 2014-18 के लिए ₹ 357 करोड़ अवसंरचना अनुदान के रूप में एवं रूसा- 2 के अंतर्गत अवधि 2018-20 के लिए ₹ 249 करोड़ अवसंरचना अनुदान, समता पहल और शिक्षक सुधार के रूप में) के कुल परिव्यय अनुमोदित किए। राज्य परियोजना निदेशक, रूसा द्वारा प्राप्त की गई निधियां और उसके उपरांत राज्य विश्वविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालयों को अवधि 2014-19 के दौरान जारी की गई निधियों की स्थिति ***तालिका 5.4*** में नीचे दर्शाई गई है :

तालिका 5.4 : रूसा के अंतर्गत जारी निधियां (₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य परियोजना निदेशक, रूसा द्वारा प्राप्त की गई निधियां			राज्य परियोजना निदेशक, रूसा द्वारा जारी की गई निधियां	
	केंद्र का अंश	राज्यांश	कुल	राज्य विश्वविद्यालय को	राजकीय महाविद्यालय को
2014-15	0	0	0	0	0
2015-16	65.4	43.6	114.0[87]	30	79
2016-17	62.4	41.6	104.0	20	84
2017-18	53.7	35.8	89.5	25	64.5
2018-19	56.1	37.4	93.5	31	62.5
कुल	237.6	158.4	401.0	106	290

स्रोत : राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

यह देखा जा सकता है कि 2014-18 के दौरान रूसा-1 के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने ₹ 357 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय में से केवल ₹ 307.50 करोड़ ही जारी किए। राज्य परियोजना निदेशक, रूसा द्वारा सूचित किया कि रूसा -1 योजना मार्च 2018 में बंद नहीं हुई थी। राजस्थान सरकार ने मार्च 2019 तक ₹ 344 करोड़ प्राप्त किए और केवल ₹ 2.60 करोड़ का राज्यांश जुलाई 2020 तक लंबित था, जिसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।

आगे, राज्य के विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों को ₹ 396 करोड़ की वितरित राशि में से ₹ 367.01 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 11 नवम्बर 2020 तक प्राप्त हुए थे।

5.6.2.2 राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी करने में विलम्ब

रूसा के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय अंश प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर केंद्र के अंश के साथ-साथ राज्य अपने अंश का योगदान राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (यहाँ राज्य परियोजना निदेशक, रूसा) के रूसा समर्पित बचत खाते में करेगा। राज्य परियोजना निदेशक, रूसा के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा गया कि *परिशिष्ट 5.2* में दिए गए विवरण के अनुसार राजस्थान सरकार ने राज्यांश के ₹ 150.95 करोड़ केंद्रीय अंश प्राप्ति के 15 दिवसों की निर्धारित अवधि के बाद 18 से 428 दिवसों की देरी से रूसा को जारी किए थे ।

राज्य सरकार ने राज्यांश को जारी करने में देरी का कारण निर्धारित प्रक्रियाओं की पालना करने में लगने वाले समय को बताया (अगस्त 2020)। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि रूसा के दिशानिर्देशों

87 इसमें प्रारंभिक अनुदान के रूप में प्राप्त राशि ₹ पांच करोड़ सम्मिलित है, जिसे राज्य परियोजना निदेशक के पास रखा गया था।

में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य अनुदान जारी करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन करने हेतु अधिकतम 15 दिनों की अनुमति होगी।

सारांश और सिफारिशें

राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (एसएलक्यूएसी) ने ना तो उन महाविद्यालयों की संख्या के बारे में आंकड़े संग्रहित किये जिन्होंने आईक्यूएसी का गठन किया था और ना ही इसकी निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित किया। नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों में शासी निकायों जैसे कि सीनेट, सिंडिकेट/प्रबंधक मंडल एवं शैक्षणिक परिषद् की निर्धारित बैठकें आयोजित नहीं हुई थी।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जेएनवीयू, जोधपुर और नमूना जांच किए गए 56 प्रतिशत महाविद्यालयों में आईक्यूएसी कार्यरत नहीं थी। नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों में निजी महाविद्यालयों को देरी से संबद्धता प्रदान करने के दृष्टान्त देखे गए थे। राज्य में नैक प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति निराशाजनक थी क्योंकि जनवरी 2020 तक पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में से केवल 6.04 प्रतिशत को ही नैक प्रत्यायन प्राप्त थी। आगे, प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों के केवल 0.66 प्रतिशत को ए$^{+}$/ए ग्रेड प्राप्त हुआ, जो राज्य में प्रदान की जा रही उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा की खराब गुणवत्ता को दर्शाती है।

नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्ष 2018-19 के दौरान बहुत अधिक मात्रा में गैर-शैक्षणिक पद रिक्त थे।

सिफारिशें :

1. *नैक प्रत्यायन प्राप्त संस्थानों की संख्या बढ़ाने के क्रम में, राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को महाविद्यालयों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली की प्रभावी निगरानी करनी चाहिए एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करना चाहिए।*
2. *विश्वविद्यालयों को चाहिए कि :*

अ. सभी शासी निकायों का गठन सुनिश्चित करें एवं उनकी निर्धारित बैठकें आयोजित करें ताकि शासन सरंचना उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता, समता एवं पहुंच बढाने की दिशा में ठोस तरीके से काम करे।

ब. महाविद्यालयों के लिए संबद्धता प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले संबद्धता का नवीनीकरण पूर्ण हो जाए ताकि छात्रों की भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ;

3. *विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी के लिए जीजीटीयू, बांसवाडा को शासी निकाय को कार्यशील बनाना चाहिए।*